न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 143/2022 राजस्व वाद

01. धनश्यामलाल पुत्र मगनीराम रेगर, जाति रेगर, आयु वयस्क निवासी–थला, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा(राज0)
02. लक्ष्मणलाल पुत्र आसुराम बलाई जाति बलाई, आयु वयस्क निवासी–बाडी तहसील रायपुर, जिला भीलवाडा(राज0)
— वादीगण

बनाम

01. गोरधनलाल पुत्र छोगालाल पाराशर जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी–करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)।
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0). — प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–
1. श्री मनोहर लाल सेन —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय– — प्र.स. 01
3. पेरोकार सरकार —प्रति.सं. 02

दिनांक– 01/08/2025

= निर्णय =

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेडा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेडा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेडा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता सख्या 2222 के आराजी नम्बर 3983 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0759 हैक्टयर भूमि मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1)खातेदार का नाम–धनश्यामलाल पुत्र मगनीराम हिस्सा 1/2 जाति रेगर सा0 थला, लक्ष्मणलाल पुत्र आशुराम जाति बलाई सा0 बाडी, सर्व तहसील रायपुर जिला भीलवाडा सह खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	3983/1	0.0379 हैक्टयर
योग	किता 01	0.0379 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम–गोरधनलाल पुत्र छोगा लाल पाराशर हिस्सा सम्पूर्ण जाति ब्राहमण सा0 करेड़ा

खातेदार के नाम पर

क्र.स.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	3983 / 2	0.0380 हैक्टयर
योग	किता 01	0.0380 हैक्टयर

नोटः—रास्ता आराजी नम्बर 3991 सरकारी रास्ता (छतरी चौराहा से हनुमान दरवाजा) दर्ज रेकॉर्ड है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 01 / 08 / 2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा